योगेन्द्र सिंह बनाम ग्राम पंचायत कुरका मु.न. 03/24

21.08.24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित प्रा० पत्र पर अभि० अपीलार्थी को सुना गया। अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार कि जाती है एवं तहसीलदार उच्चैन को रिमाण्ड की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। ~~[illegible]~~ विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। Sd/- **उपखण्ड अधिकारी** **उच्चैन (भरतपुर)**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:— श्री विष्णु बंसल (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांक:— 03/2024

1. योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री धारा सिंह, नवीरा, ईशरिया जाति जाट, निवासी ग्राम कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज।

..................अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत कुरका तामील जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, कुरका, पं.स.उच्चैन भरतपुर।

..................रैस्पोंडैण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति:—

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांक:— 21/08/2024

अपीलाण्ट ने जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट, अपील वनाराजगी नामन्तरकरण संख्या 451 ग्राम कुरका फैसल दिनांक 11/04/1964 द्वारा ग्राम पंचायत कुरका बावत् विरासत मृतक ईशरिया पुत्र गोरधन, के तहत पेश कर निवेदन किया है कि अपीलाण्ट ग्राम कुरका की खाते संख्या 420,421,677,831 में दर्ज आराजी का रिकार्डेड सहखातेदार है जिसकी बावत् राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाण्ट का नाम जगन सिंह गलत दर्ज हो रहा है जबकि अपीलाण्ट का सही नाम योगेन्द्र सिंह दर्ज होना चाहिए था। गांव के लोग अपीलाण्ट को प्यार से जगन सिंह अथवा जगना के नाम से भी पुकारते है व जानते है, परन्तु अपीलाण्ट का सही और शुद्ध रिकार्ड का नाम योगेन्द्र सिंह ही है। ग्राम पंचायत कुरका द्वारा जब प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 451 दिनांक 11.04.1964 को तस्दीक कर अपीलाण्ट के शुद्ध व सही नाम योगेन्द्र सिंह के बजाय टेरे गये गलत नाम जगन सिंह का अंकन कराया गया था और उस समय अपीलाण्ट की आयु सिर्फ 11 वर्ष थी इसलिए ग्राम पंचायत कुरका को नामन्तकरण संख्या 451 को तस्दीक व फैसल करते समय दिनांक 11:04.1964 को अपीलाण्ट के शुद्ध व रिकॉर्ड के सही नाम की उचित जांच पडताल किया जाना अति आवश्यक था परन्तु ग्राम पंचायत कुरका द्वारा बिना जांच पडताल के अपीलाण्ट का नाम योगेन्द्र सिंह के वजाय अपीलाण्ट का टेरा गया गलत नाम जगन सिंह अंकित कराकर नामान्तकरण को तस्दीक कर फैसल कर दिया गया और ग्राम पंचायत कुरका के उक्त कार्यलोप और शिथिलता के परिणाम स्वरूप राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाण्ट का नाम योगेन्द्र सिंह के बजाय अशुद्ध नाम जगन सिंह दर्ज होता चला आया है। अपील पेश कर अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना है कि अपील

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर रेस्पो0 ग्राम पंचायत कुरका द्वारा फैसला नामान्तकरण संख्या 451 तारीख 11.04.1964 ग्राम कुरका विरासत ईशरिया पुत्र गोरधन वावत् आराजी मुन्दर्जे खाता संख्या 420,421,677,831 हाल जमाबंदी संम्वत् 2075–78 ग्राम कुरका में अपीलाण्ट के मौजूद दर्ज गलत व अशुद्ध नाम जगन सिंह को रिकॉर्ड से कलमजन कर उसके स्थान पर अपीलाण्ट का सही नाम योगेन्द्र सिंह रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने के तहसीलदार उच्चैन को आदेश प्रदान किये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। रैस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलव किया गया। रैस्पोडैन्ट से स्वंय उपस्थित। जवाव पेश नहीं किया सीधे ही वहस की गई। पत्रावली एवं शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष पेंशन पेमेन्ट आर्डर 201642, वोटर कार्ड संख्या आर.जे./10/073/105678, आधार कार्ड संख्या 785606018276, पेन कार्ड, एवं भामाशाह कार्ड आदि का अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात यह पाते है कि यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि अपीलान्ट का नाम योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री धारा सिंह है जगन सिंह नहीं। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है किः–

अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं नामान्तकरण संख्या 451 ग्राम कुरका फैसल दिनांक 11/04/1964 को निरस्त किया जाता है एवं तहसील उच्चैन को नामान्तकरण रिमांड किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन जांच एवं सुनबाई का उचित समय देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विष्णु बंसल(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन,भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)